



140078 - क्या रेहन (गिरवी) मांगने वाले के लिए रेहन रखी हुई चीज़ से लाभ उठाना जाइज़ है ?

प्रश्न

एक आदमी ने मेरे पास तीन वर्ष की अवधि के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा रेहन रखा था, और इन वर्षों के दौरान मैंने उस की जोताई और खेती की, तो क्या उस से प्राप्त होने वाला लाभ सूद (व्याज़) समझा जायेगा ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

रेहन की मांग करने वाले आदमीके लिए, रेहन रखने वाले आदमी की अनुमतिके बिना रेहन रखी हुई चीज़ से लाभ उठाना किसी भी हालत में जाइज़ नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमका फरमान है : “किसी भी आदमी का धन उसकी मर्ज़िके बिना हलाल -वैध- नहीं है।” इसे अहमद ने (हदीस संख्या : 20172 के तहत) वर्णन किया है, और शैख अल्बानी ने इर्वाउल-गलील (5/279) में इसे सहीह कहा है।

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमके इस फरमान के आधार पर भी वैध नहीं है कि : “हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर उसका खून, उस का धन और उस की इज़ज़त व आबरू हराम है।” (सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 2564)

दूसरा

:

अगर रेहन रखने वाला, रेहन की मांग करने वाले को रेहन रखी हुई चीज़ से लाभ उठाने की अनुमति दे देता है तो यदि वह उधार, कर्ज़ लेने की वजहसे (ऋण का उधार) है, तब भी रेहन मांगने वाले आदमी के लिए रेहन से लाभ उठाना जाइज़ नहीं है, यद्यपि रेहन रखने वाले ने अनुमति दे दी है, क्योंकि यह ऐसा कर्ज़ है जो लाभ को जन्म देता है, अतः वह सूद है।

इमाम बैहक्रीरहिमहुल्लाह सुनन अस्सुग्रा (4/353) में कहते हैं :

हमें फज़ाला बिन उबैद से वर्णन किया गया कि उन्होंने कहा : हर वह कर्ज़ जो लाभ को जन्म देता है वह सूद का एक रूप है। तथा हमें इब्ने मसऊद, इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हुम वगैरा से इसी के अर्थ में वर्णन किया गया है। तथा उमर और उबै बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हुमा से भी वर्णित है।”



तीसरा :

अगर वह ऋणजिस में ज़मीन रेहनरखी गयी है कर्ज़न हो, जैसे कि किसीबेचे गये सामानका मूल्य या घरका किराया इत्यादिहो और रेहन का मालिक(कर्ज़ दार) रेहनमांगने वाले (कर्ज़देनेवाले) के लिए रेहनरखी हुई चीज़ सेलाभ उठाने की अनुमतिप्रदान कर दे,तो उसपर इस में कोई आपत्तिकी बात नहीं हैं।

मुदव्वना(4/149) मेंवर्णित है कि :

“मैं ने कहा : आप का इस बारे मेंक्या विचार हैकि क्या रेहन कीमांग करने वालारेहन रखी हुई चीज़से लाभ उठाने कीकोई शर्त लगा सकताहै ? उन्होंने ने कहा : यदि वह बिक्रीसे है तो ऐसा करनाजाइज़ है, और अगरऋण, कर्ज़ की वजहसे है तो ऐसा करनाजाइज़ नहीं है, क्योंकियह ऐसा उधार होजाता है जो लाभको जन्म देता है। मैं ने कहा : क्यायह मालिक का कथनहै ? उन्होंने ने कहा : हाँ ...”

इब्ने कुदामारहिमहुल्लाह कहतेहैं :

“जिस रेहनमें खर्च (व्यय)की आवश्यकता नहींहोती है, जैसे किघर और सामान वगैरा,तो रेहनमांगने वाले केलिए रेहन रखनेवाले की अनुमतिके बिना उस से लाभउठाना किसी भीहालत में जाइज़नहीं है। हम इसबारे में किसीका मतभेद नहींजानते ; क्योंकिरेहन रखी हुई चीज़रेहन रखने वालेकी संपत्ति है,तो इसीतरह उस का विकासऔर उस का लाभ भीउसी का है, अतः उसकी अनुमति के बिनाकिसी और के लिएउसे लेना जाइज़नहीं है। अगर रेहनरखने वाला, रेहनमांगने वाले केलिए बिना किसीछूतिपूर्ति के रेहनसे लाभ उठाने कीअनुमति प्रदानकर दे, और रेहन काऋण, कर्ज़ की वजह से होतो जाइज़ नहीं है ; क्योंकि वह ऐसाकर्ज़ प्राप्त करताहै जो लाभ को जन्मदेता है, और यह हरामहै। इमाम अहमदकहते हैं : मैं घरका कर्ज़ नापसंद करताहूँ, वह निरा सूदऔर व्याज़ है। अर्थात् : यदि घर किसी कर्ज़में गिरवीरखा हो जिस से रेहनमांगने वाला लाभउठाता हो।

और अगर रेहनकिसी बिक्री कियेगये सामान का मूल्य,या किसीघर का किराया,या कर्ज़के अलावा कोई अन्यऋण है, और रेहन रखनेवाला उसे लाभ उठाने(प्रयोग करने) कीअनुमति दे दे,तो उसके लिए रेहन सेलाभ उठाना जाइज़है।” (इब्ने कुदामारहिमहुल्लाह कीबात समाप्त हुई).

“अल-मुगनी”(4/250)

चौथा :

पीछे वर्णिततरीके पर, रेहनसे लाभ उठाने केलिए यह शर्त हैकि यह लाभ उठानाकर्ज़ की अदायगीकी अवधि में विलंबकरने



के बदले में हो, अगर उस का रेहनसे लाभ उठाना इसके बदले में है तो रेहन की मांग करने वाले के लिए रेहन से लाभ उठाना जाइज़ नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह लाभ को जन्म देने वाले कर्ज़ के अध्याय से हो जाता है।

इफ़्ता की स्थायी समिति से प्रश्न किया गया :

एक आदमी के ऊपर एक दूसरे आदमी का कर्ज़ है, कर्ज़दार ने उस के बदले में ज़मीन का एक टुकड़ा रेहन रखा है, तो क्या कर्ज़ के मालिक (कर्ज़ देने वाले) के लिए उस गिरवी रखी हुई ज़मीन से उसकी खेती करके या उसे किराये पर देकर या इसी के समान किसी अन्य ढंग से लाभ उठाना जाइज़ है ?

तो समिति ने उत्तर दिया :

“अगर गिरवी रखी हुई चीज़ ऐसी नहीं है जिस के लिए खर्च करने और देख रेख की आवश्यकता होती है, जैसे किसान और अचल संपत्ति ज़मीन और घर आदि, और वह कर्ज़ के ऋण के अलावा किसी अन्य ऋण में गिरवी रखी गयी हो, तो रेहन की मांग करने वाले के लिए रेहन रखने वाले की अनुमति के बिना उस में खेती करके या उसे किराये पर देकर लाभ उठाना जाइज़ नहीं है, क्योंकि वह रेहन रखने वाले की संपत्ति है तो उस से विकसित चीज़ भी उसी की होगी, अगर रेहन रखने वाला, रेहन मांगने वाले को इस ज़मीन से लाभ उठाने की अनुमति दे दे और वह ऋण कर्ज़ का ऋण न हो तो रेहन मांगने वाले के लिए उस से लाभ उठाना जाइज़ है भले ही वह बिना किसी मुआवज़ा के हो, किन्तु इस शर्त के साथ कि वह उस कर्ज़ की अदायगी की अवधि में विलंब करने के बदले में हो, अगर उस का रेहनसे लाभ उठाना इसके बदले में है तो रेहन की मांग करने वाले के लिए उस से लाभ उठाना जाइज़ नहीं है।

किन्तु अगर यह गिरवी रखी हुई ज़मीन, कर्ज़ के ऋण में गिरवी रखी गयी है, तो रेहन की मांग करने वाले के लिए रेहन से बिल्कुल लाभ उठाना जाइज़ नहीं है, क्योंकि वह ऐसा कर्ज़ है जो लाभ को जन्म देता है, और हर वह कर्ज़ जो लाभ को जन्म दे, वह विद्वानों की सर्व सहमति (इत्तिफ़ाक़) से सूद है।”

“फ़ताव अल्लज्ना अद्दाईमा” (स्थायी समिति के फ़त्वे 14/176-177)

पाँचवाँ :

अगर रेहनसे लाभ उठाना उसके मालिक की अनुमतिके बिना है, या उसके मालिक ने अनुमति दे दी है किन्तु उन दोनों के बीच जो उधार है वह कर्ज़ के रूप में है, जैसा कि इस का वर्णन हो चुका, या कर्ज़ की अदायगी की अवधि में विलंब करने के बदले में है : तो इस ज़मीन की फसल (उपज) से कुछ भी लेना, या उस की आय से कुछ भी लाभ उठाना जाइज़ नहीं है।

और अगर रेहन मांगने वाले ने-जिस के हाथ में रेहन है- उस ज़मीन की जो ताई और खेती की है, तो उस की उपज और फल से



वह उस कीजोताई और खेतीका किराया हिसाबकर के ले लेगा,और उसमें से जो कुछ बाक्रीबचेगा उसे वह उसके मालिक पर लौटादेगा या उस के कर्जमें सेकाट देगा ।

और अल्लाहतआला ही सर्वश्रेष्ठज्ञान रखता है ।